

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक-- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 14038-75

दिनांक - 26/03/2012

आदेश संख्या 280/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/ 2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- 1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट/बैच न0	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रामनिवास यादव	80/90	28.07.1993	28.07.2011	
2.	दिलीप सिंह राजपुरोहित	169/90	06.08.1993	06.08.2011	
3.	निरजन कुमार पारीक	173/90	30.07.1993	30.07.2011	
4.	हनुमान लाल जाट	217/90	10.09.1993	10.09.2011	
5.	सोहन लाल अग्रवाल	417/90	03.01.1994	03.01.2012	
6.	बृजेश कुमार शर्मा	421/90	03.01.1994	03.01.2012	
7.	हिमतराम	457/90	03.01.1994	03.01.2012	
8.	देवेन्द्र शर्मा	463/90	03.01.1994	03.01.2012	
9.	श्रीमती सीमा भार्गव	465/90	03.01.1994	03.01.2012	
10.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	485/90	03.01.1994	03.01.2012	
11.	रमेशचन्द्र शर्मा	519/90	03.01.1994	03.01.2012	
12.	नोपाराम	551/90	03.01.1994	03.01.2012	
13.	अजय मेहता	575/90	05.01.1994	05.01.2012	
14.	श्रीमती चन्द्रकान्ता	DGS/90	09.03.1994A/N	10.03.2012	
15.	दीपन अग्रवाल	DGS/90	21.03.1994	21.03.2012	

4

क्रमशः 2

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम / 2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है। क्रम संख्या 15 पर अंकित दीपन अग्रवाल की सन्तान संबंधी घोषणा पत्र निदेशालय में द्वितीय एसीपी देय तिथि से पूर्व में प्राप्त होने के कारण कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(1)डीओपी/क-2/95 दिनांक 2006/2001 के क्रम में सन्तान की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

क्रम संख्या 1 से 4, 6 से 8 एवं 10 से 15 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक— एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 14038-75

दिनांक— 26/03/2010

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- 2- श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- 3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।
- 4- संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने को प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर (वेबसाइट हेतु) शाखा।
- 6- निजी/गार्ड फाईल।

Paal

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)